सत्यमेव जयते
Government of India

NCGG
National Centre for Good Governance

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग,
भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान

विषय-वस्तु

परिचय	4
वर्ष 2017-18 के दौरान एनसीजीजी के कार्यकलाप	6
एनसीजीजी, मसूरी में उपलब्ध सुविधाएँ	15
एनसीजीजी टीम	16
संलग्नक - I राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के शासी निकाय के सदस्य	19
संलग्नक - II राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की प्रबंधन समिति के सदस्य	20
संलग्नक - III नागरिक केंद्रिक शासन : प्रपत्रों का सरलीकरण	21
संलग्नक -IV जल मामलों पर पीएचईडी इंजीनियरों का प्रशिक्षण सह-कार्यशाला तथा प्रत्यक्ष अनुभव दौरा	22
संलग्नक - V स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
संलग्नक **-VI** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर जिला परिषद सदस्यों/मुखियाओं/प्रमुखों-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	23
संलग्नक -VII राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	23
संलग्नक -VIII उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षणार्थी सिविल जजों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	23
संलग्नक -IX बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	24
संलग्नक -X बंगलादेश के उपायुक्तों (डीसी) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	24
संलग्नक -XI प्रबंधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	25

परिचय

I. केंद्र के बारे में:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) भारत सरकारद्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। इससे पहले यह केंद्र कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के संरक्षण में था। यह केंद्र पूर्ववर्ती राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्था (एनआईएआर), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी को विस्तृत अधिदेश से क्रमोन्नत करते हुए अस्तित्व में लाया गया था। एनसीजीजी स्वायत्तशासी संस्था है जो सोसायटी विनियमन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और पंजीकृत कार्यालय मसूरी में है।

II. एनसीजीजी का अधिदेश:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की देश के शीर्ष थिंक-टैंक के रूप में कल्पना की गई है जो सरकार का मार्गदर्शन और सुशासन सुधारों को लागू करने में सरकार की सहायता करेगा। यह राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर तथा सरकार के सभी सेक्टरों के सम्मिलित किए जा सकने वाले शासन के मुद्दों के समस्त पहलुओं पर कार्य करने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण का उच्चस्तरीय संस्थान बनने की अपेक्षा करता है। इसका उद्देश्य भारत भर में अपने क्षेत्राधिकार के साथ राष्ट्रीय स्तर का बहुविषयक संस्थान बनने का है जो सुशासन कार्यनीति, कार्रवाई योजना और उनके कार्यान्वयन में सहायता के लिए सक्रिय शोध और विश्लेषणात्मक अध्ययन के प्रति समर्पित हो।.

केंद्र के कार्य का परिणाम शोध-पत्रों, शासन-सुधारों पर श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन और नीति विश्लेषण के रूप में है। इसका लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्तानों को आवश्यक दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन और शासन में क्षमता-निर्माण के इनपुट उपलब्ध करवाने का है।

III. उद्देश्य :

एनसीजीजी के उद्देश्य और कार्य:

i. मार्गदर्शन और नागरिक केन्द्रिक सुशासन-सुधारों प्रशासनिक, सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिक, के कार्यान्वयन में देश का शीर्ष थिंक-टैंक होना।

ii. श्रेष्ठ प्रथाओं की जानकारी पहलों और उन कार्यप्रणालियों, जो सुशासन, ई-गवर्नेंस पहलों, प्रबंधन-परिवर्तन और सरकार के भीतर क्षमता-निर्माण के राष्ट्रीय कोष के रूप में कार्य करना।

iii. श्रेष्ठ प्रथाओं की जानकारी पहलों और उन कार्यप्रणालियों, जो सुशासन, ई-गवर्नेंस पहलों, प्रबंधन-परिवर्तन और सरकार के भीतर क्षमता-निर्माण के राष्ट्रीय कोष के रूप में कार्य करना।

iv. श्रेष्ठ प्रथाओं की जानकारी पहलों और उन कार्यप्रणालियों, जो सुशासन, ई-गवर्नेंस पहलों,

प्रबंधन-परिवर्तन और सरकार के भीतर क्षमता-निर्माण के राष्ट्रीय कोष के रूप में कार्य करना।

v. विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी और विदेशी एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और उनका समन्वयन करना। एनसीजीजी शोध-पत्रों, शासन सुधारों, नीति विश्लेषण व विकल्पों के रूप में केंद्र/राज्य सरकारों के संगठनों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों व राज्य प्रशासनिक संस्थानों को शासन और प्रबंधन मामलों में दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन और क्षमता-निर्माण पर इनपुट उपलब्ध कराएगा।

vi. सार्वजनिक हित में नीतियों को अपनाने और उनके क्रियान्वयन के संबंध में सहमति विकसित करने की दृष्टि से सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सामयिक विषयों पर राष्ट्रीय विचार-विमर्श का आयोजन करना। सरकार के भीतर और बाहर, अन्य राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, जो परस्पर हितों के विषय-क्षेत्रों में शोध व प्रशिक्षण पर कार्य कर रहे हैं, के साथ बातचीत करना।

IV. शासी निकाय :

एनसीजीजी मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय द्वारा शासित है। सोसायटी के कार्य शासी निकाय की देखरेख, दिशा-निर्देश और नियंत्रण से प्रबंधित किए जा रहे हैं। अन्य सदस्यों में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, प्रसिद्ध शिक्षाविद् और शासन सुधारों की रुचि व विशेषज्ञता वाले सिविल सोसायटी के सदस्यगण शामिल हैं। शासी निकाय के सदस्यों का संयोजन **संलग्नक-I** पर सूचीबद्ध है।

V. प्रबंधन समिति :

एनसीजीजी की एक प्रबंधन समिति है जिसके अध्यक्ष कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव हैं। अन्य सदस्यों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों, शोध-संगठनों के प्रमुख, प्रसिद्ध प्रशासक और शिक्षाविद् हैं। प्रबंधन समिति के सदस्यों का संयोजन **संलग्नक-II** पर सूचीबद्ध है।

VI. संचालन का क्षेत्र :

वर्ष के दौरान एनसीजीजी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य किया:

- शासन
- जल व स्वच्छता
- सामाजिक क्षेत्रक (सेक्टर)
- प्रशिक्षण; और
- जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण ;

वर्ष 2017-18 के दौरान एनसीजीजी के कार्य-कलाप

I. शासन

नागरिक केंद्रिक शासन' प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला::

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) देश में सुशासन लागू करने के लिए मंच की सुविधा उपलब्ध करवाता रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इसके पास विज़न और माननीय प्रधानमंत्री का शासनादेश भी है। एनसीजीजी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से प्रपत्रों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए पहलों की श्रृंखला शुरु की है।

कार्यशाला के उद्देश्य हैं:

1. उपयोगकर्ताओं के नज़रिये से प्रपत्रों की समीक्षा में हित-धारकों को जोड़ना।
2. प्रपत्रों में सूचना के प्रवाह और प्रक्रिया के बंधन को सरल बनाने में अपेक्षित बदलावों पर विचार-विमर्श किया गया।
3. प्रपत्र में अपेक्षित बदलाव को समझना और संबंधित प्राधिकारियों को बदलाव के लिए सुझाव देना।
4. अप्रचलित प्रपत्र हटाना।

कार्यप्रणाली

अब तक अपनाई गई कार्यप्रणाली में चार चरण हैं: विभागीय कर्मचारियों के कोर ग्रुप का गठन; कोर ग्रुप के साथ एक सप्ताह या उससे आगे तक सघनता से काम करना; सुझाए गए बदलावों और विभाग द्वारा प्रस्तावित बदलाव अपनाए जाने पर चर्चा के लिए हित-धारकों के साथ-साथ संबंधित विभागों के कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक या अधिक तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन।

अंतिम कार्यशाला के बाद एनसीजीजी और संबंधित विभागीय अधिकारी सुझाए गए सरलीकृत प्रपत्रों पर कार्य करते हैं। विभाग सरलीकृत प्रपत्रों को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया करता है।

वर्ष के दौरान 'नागरिक केंद्रिक शासन' प्रपत्रों का सरलीकरण पर निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के साथ 10 तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की गईं:

(i) **डाक विभाग, संचार मंत्रालय,** भारत सरकार

(ii) **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** भारत सरकार।

(iii) **महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,** भारत सरकार।

(viii) **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, संस्कृति मंत्रालय,** भारत सरकार।

(ix) **आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय,** भारत सरकार।

(x) **दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), शहरी विकास मंत्रालय,** भारत सरकार।

(iv) **पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,** भारत सरकार।

(v) **पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,** भारत सरकार।

(vi) **आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय,** भारत सरकार।

(vii) **डाक विभाग, संचार मंत्रालय,** भारत सरकार।

II. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)

जल तथा स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के लिए राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, मसूरी को जल और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में अपने पैनल में रखा है। एनसीजीजी के राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र (एनकेआरसी) का उद्देश्य वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों तथा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रमुख नीति-

निर्माताओं को नवीनतम विकास से अवगत कराना तथा उन्हें उस जानकारी से सज्जित करना है जो उन्हें क्षेत्रक की व्यापक समझ विकसित करने और उन्हें अधिक प्रभावी हस्तक्षेप करने योग्य बनने में सहायता करेगी।

जल तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करता रहा है जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) दोनों अलग-अलग क्षेत्रकों में सौंपी गई है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम जल एवं स्वच्छता क्षेत्रक में संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। हालांकि, 2012 के बाद जल एवं स्वच्छता (अब स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण) के लिए प्रशिक्षण पृथक रूप से संचालित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में हस्तक्षेपों के लिए लक्ष्य-समूह विकास एजेंसियों के प्रशासक, पीएचईडी के इंजीनियर, पीआरआई और विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण थे।

जल क्षेत्रक के अन्तर्गत राज्य विशेष क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम:

एनसीजीजी राजस्थान राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग के जल मामलों पर चार प्रशिक्षण सह-प्रत्यक्ष अनुभव दौरे सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है। कुल 98 अभियन्ता प्रशिक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त,एनसीजीजी राजस्थान राज्य के जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुका है जिसमें 22 इंजीनियर प्रशिक्षित किए गए।सीबीटीपी का उद्देश्य जल क्षेत्रक से जुड़े उभरते मामलों का इस दृष्टि से समाधान करना है ताकि, राज्य में जल से जुड़े मुद्दों की स्थिति पर अन्तर्दृष्टि मिले और समुदाय प्रबंधित जल-वितरण स्कीम, समुदाय आधारित माँग और सामुदायिक जुटाव और जुड़ाव के साथ सहभागिता दृष्टिकोण की श्रेष्ठ प्रथाएं दर्शाने के लिए भी संपर्क हो सके। 2017-18 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की सूची **संलग्नक IV** पर है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और इसके उद्देश्य:

विश्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयास बढ़ाने और स्वच्छता पर फोकस करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का है। इस अभियान का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्ति से साफ-स्वच्छ बनाते हुए उपयुक्त ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण भारत के साफ-सफाई का स्तर सुधारने का है।

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के मुख्य उद्देश्य:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना;

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतें 2019 तक निर्मल-स्थिति प्राप्त कर लें, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज बढ़ाना;

(iii) जागरुकता-सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सतत स्वच्छता सुविधाओं का संवर्धन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों को प्रेरित करना;

(iv) सतत स्वच्छता के लिए पारिस्थितिकीय व आर्थिक दृष्टि से प्रभावी प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; तथा

(v) ग्रामीण क्षेत्रों की समूची सफाई पर फोकस करते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणाली विकसित करना।

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) में डीएम/डीसी/सीईओ/जिला परिषदों के अध्यक्षों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम:

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस), भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र को जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्य सौंपा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरुकता उत्पन्न करना, ज्ञान प्राप्त करना और श्रेष्ठ प्रयोग सीखना तथा देशभर में राष्ट्रीय अभियान की सततता और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर डीसी/डीएम/सीईओ/जिला परिषद के अध्यक्षों, बीडीओ के लिए एनसीजीजी द्वारा 2015-16 के दौरान प्रथम चरण में उन्मुखीकरण प्रशिक्षण

कार्यक्रम की श्रृंखलाएं आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, एनसीजीजी ने 2017-18 के दौरान जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों (जेडएसबीपी) के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 180 जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों (जेडएसबीपी) को स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) में प्रशिक्षित किया गया था। ये कार्यक्रम **संलग्नक-V** पर सूचीबद्ध हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम:

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केआरसी, एसनीजीजी ने झारखंड राज्य के बोकारो, हजारीबाग और खूँटी जिले के जिला परिषद सदस्यों/बीस सूत्रीय कार्यक्रम सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। वर्ष 2017-18 के दौरान झारखंड राज्य के लिए कुल 5 प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें से तीन कार्यक्रम बोकारो जिले; दो कार्यक्रम हजारीबाग जिले के लिए आयोजित किए गए। 182 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मांग प्रेरित और समुदाय संचालित अभियान के जरिए ओडीएफ (खुले शौच से मुक्ति) का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रतिभागियों को अवगत कराना है जो ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को प्रेरित करने के लिए अनिवार्य है ताकि वे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करने हेतु अनुकूल परिवेश तैयार करने में अपने संबंधित जिलों में ग्राम स्तर पर समर्थन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सके। ब्यौरा **संलग्नक VI** में दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- लोक नीति एवं शासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का सर्व समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करना;
- अधिकारियों को लोक सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने की तकनीकों से सज्जित करना;
- शासन और लोक नीति की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियाँ साझा करना ताकि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार स्तरों पर प्रसंगानुकूल स्वीकरण और स्तरोन्नयन में समर्थ हो सकें;
- सुशासन और लोक नीति की वैश्विक श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों तथा भारतीय संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श करना;

लोक नीति, शासन" पर प्रशिक्षण और दूरदर्शी नेतृत्व विकास कार्यक्रम:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार ने "लोक नीति एवं शासन" तथा "दूरदर्शी नेतृत्व विकास कार्यक्रम" इंदिरा भवन परिसर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में देश के विभिन्न राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवाओं (एसएएस) हेतु

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रेरकों के बढ़ते प्रभावों से लोक नीतियों के बदलते परिदृश्य के बारे में राज्य अधिकारियों को जागरूक बनाना;
- वैयक्तिक जोखिम कम करने, भागीदारी शासन, प्रशासनिक नीतिशास्त्र और मूल्यों का आदर तथा लोक नीति के कानूनी और संवैधानिक आधार के संबंध में राज्य अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करना;
- कुशल लोक सेवा प्रदायगी के लिए आधुनिक दायित्वों और परंपरागत शासन के साथ

संतुलन बनाने के लिए राज्य प्राधिकरणों को मजबूत बनाना; और

- समसामयिक नीतियां तैयार करने, उनके कार्यान्वयन, संचालन तथा सुशासन सुनिश्चित करने हेतु लोक सेवा प्रदायगी प्रक्रिया की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए राज्य प्राधिकरणों को सशक्त बनाना।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में एनसीजीजी ने विभिन्न राज्यों के लिए लोक नीति एवं शासन तथा दूरदर्शी नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 अगस्त, 2017 से फरवरी, 2018 तक) आयोजित किए जिनमें कुल 149 अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संबंधित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायता दी जी रही है। ब्यौरा **संलग्नक VII** में दिया गया है।

उत्तराखंड के जजों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

उत्तराखंड न्यायिक और विधि अकादमी (उजाला) ने भी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र को उत्तराखंड राज्य के सिविल जजों (कनिष्ठ खंड-2014) के लिए सुशासन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य दिया। जजों हेतु यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य की न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड के स्वप्न को साकार बनाने की ओर पहला कदम है। ब्यौरा **संलग्नक VIII** पर दिया गया है।

III. प्रशिक्षण 2017-18

बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र अप्रैल, 2013 से एनसीजीजी, मसूरी में बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने एनसीजीजी को बंगलादेश के 1500 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने का अधिदेश दिया है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बंगलादेश के दौरे के दौरान बंगलादेश और भारत के मध्य 7 जून, 2015 के संयुक्त घोषणा पत्र के दौरान एमसीटीपी कार्यक्रमों के महत्व तथा बंगलादेश के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। बंगलादेश के प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल, 2017 को भारत दौरे के दौरान मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर संतोष व्यक्त किया।

एनसीजीजी ने अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक सफलतापूर्वक 8 कार्यक्रम आयोजित किए और इस अवधि के दौरान बंगलादेश के 272 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया। इस प्रकार इस केंद्र ने मार्च, 2018 तक कुल 1407 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार है :

- भारतीय प्रशासनिक और शासन प्रणालियों से अवगत होना।
- भारतीय ग्रामीण विकास पद्धतियों और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों की गहन समझ प्राप्त करना।
- शहरी विकास योजना की गहन समझ प्राप्त करना और अपनाई गई श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों से सीख प्राप्त करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विविध उत्तम ई-गवर्नेंस अनुभवों से अवगत होना।
- मामला अध्ययनों के जरिए आपदा प्रबंधन तकनीकों और पद्धतियों से सीख प्राप्त करना।
- मामला अध्ययनों के जरिए आपदा प्रबंधन तकनीकों और पद्धतियों से सीख प्राप्त करना।
- उत्तम परियोजनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करना।

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की सूची **संलग्नक IX** में दी गई है।

बंगलादेश के उपायुक्तों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने वर्ष 2017-18 के दौरान एनसीजीजी को बंगलादेश के उपायुक्तों (डीसी) के लिए तीन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा। एनसीजीजी ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए और बंगलादेश के सभी 64 जिलों के लगभग सभी उपायुक्तों को प्रशिक्षित किया। आज की तारीख तक एनसीजीजी ने कुल 124 उपायुक्तों को प्रशिक्षित किया है। इस वर्ष आयोजित तीन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 48 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों की अत्यंत सराहना की। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की सूची **संलग्नक X** पर दी गई है।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम :

एनसीजीजी ने वर्ष के दौरान मसूरी में कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारियों और लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 4 पांच-दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए। उपर्युक्त कार्यक्रमों में कुल 78 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण की सराहना की।

राज्य सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :

इसके अलावा, एनसीजीजी ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मिजोरम सिविल सेवा तथा मणिपुर सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों की अत्यंत सराहना की। इन कार्यक्रमों का ब्यौरा **संलग्नक XI** में दिया गया है। उपर्युक्त कार्यक्रमों में कुल 58 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इन कार्यक्रमों की विषय वस्तु और प्रस्तुतीकरण दोनों की प्रतिभागियों ने सराहना की।

IV. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण केंद्र :

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण केंद्र का गठन वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान) में किया गया। चार वर्षों के कार्यकाल में उक्त केंद्र ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के साथ कार्य किया ताकि इन संस्थानों के प्रशिक्षणाधीन सिविल सेवा अधिकारियों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग करने हेतु जलवायु परिवर्तन प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया जा सके। यह केंद्र जलवायु परिवर्तन मामलों में सिविल सेवा अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का कारगर तरीके से समाधान करने हेतु उनके ज्ञानाधार और कौशल-सेट में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस केंद्र ने ज्ञान संस्थान की अपनी क्षमता के तौर पर जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान उत्पादों का भी विकास किया है।

केपीएमजी इंडिया द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा प्रयुक्त प्रशिक्षण सामाग्री की समीक्षा की गई और संशोधित किया गया। फाउंडेशन पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईएएस प्रोफेशनल फेज I- फेज V पाठ्यक्रमों के लिए माड्यूल विकसित किए गए। तदनुसार जलवायु परिवर्तन पाठ्यक्रमों को संशोधित ढांचे के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों (फाउन्डेशन पाठ्यक्रम, चरण I, चरण IV और चरण V) में शामिल किया गया। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण रूपरेखा में उक्त माड्यूलों को समाविष्ट करने हेतु लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के संकाय और राज्य एटीआई के साथ निरंतर प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण प्रयोजन आकलन कार्य के पश्चात् राज्य एटीआई के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। इन माड्यूलों का विकास करने के लिए यूएनडीपी, इंडिया ने केपीएमजी, इंडिया को कार्य सौंपा जिनमें भारत के विविध भू-जलवायु क्षेत्र अर्थात् बंजर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, भारत-गंगा क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन पर सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण माड्यूल शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण केंद्र (सीसीसी एंड ई) ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी भारत की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति योगदान को जारी रखने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष अपने कार्यकलापों की सहायता करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

एनसीजीजी, मसूरी में उपलब्ध सुविधाएँ

भवन परिसर में संकाय कक्ष, स्टॉफ के लिए कार्यालय स्थल, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, अतिथि कक्ष, भोजन कक्ष, रसोईघर और प्रतीक्षालय है।

पुस्तकालय में क्षेत्रीय और शहरी आयोजना पर विशेष संग्रह, पर्यावरणीय अध्ययन और एनसीजीजी द्वारा किए गए विभिन्न शोध-पत्रों की रिपोर्टें उपलब्ध हैं। कंप्यूटरीकृत सूचीपत्र तथा अकादमी की गांधी स्मृति पुस्तकालय की ग्रंथ-सूची सेवाएं भी केंद्र के उपयोग हेतु उपलब्ध है।

कंप्यूटर प्रयोगशाला में दस कार्य स्टेशन हैं, डिजीटलीकरण और स्कैन करने की सुविधाएं, रंगीन प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग और सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

कंप्यूटर प्रयोगशाला में दस कार्य स्टेशन हैं, डिजीटलीकरण और स्कैन करने की सुविधाएं, रंगीन प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग और सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

एनसीजीजी टीम

एनसीजीजी के पदाधिकारीगण और संकाय सदस्य

	श्री के.वी. इपेन, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा महानिदेशक, एनसीजीजी (दिसम्बर, **2017 से आज की तारीख तक) :** वे असम मेघालय संवर्ग के 1984 बैच के भा.प्र.सेवा के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र तथा सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग हैं। वह पूर्व में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।अपने कैरियर में अपर मुख्य सचिव/अपर सचिव, जन जातीय कार्य मंत्रालय, श्रम विभाग, आयोजना और विकास विभाग, अध्यक्ष, विद्युत विभाग जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वाशिंगटन में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी जिसमें वह बंगलादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के मामलों का कार्य देखते रहे। वह अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं तथा यूनाइटेड किंगटम से मेक्रो इकॉनामिक पॉलिसी एंड प्लानिंग में भी स्नातकोत्तर हैं तथा प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा धारक हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीओ, अवसंरचना विकास और वित्तपोषण तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहित अनेक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।
	डॉ. ज्ञानेन्द्र बडगैयां, महानिदेशक (जनवरी, 2016 से अक्तूबर, 2017) : वर्ष 1991 से 2013 (जनवरी) तक भा.प्र. सेवा के अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने यूएनडीपी में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया तथा यूएन विश्वविद्यालय से रिसर्च फेलो रहे हैं। भा.प्र. सेवा के अधिकारी के तौर पर उन्होंने वित्त सचिव तथा कलेक्टर सहित विभिन्न नीतिगत और फील्ड स्तरीय पदों पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन केंद्र, मसूरी में प्रोफेसर, अर्थशास्त्र का अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा पूरी की तथा प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। उनके पश्चात श्री के.वी. इपेन, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वर्ष 2017-2018 की शेष अवधि के लिए महानिदेशक, एनसीजीजी का पदभार ग्रहण किया।
	सुश्री पूनम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर : राजनीतिशास्त्र में स्नातकोत्तर, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा उत्तराखंड, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी। वह सामाजिक क्षेत्र विशेषकर आयोजना, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्र की विशेषज्ञा हैं। उन्होंने गया कॉलेज, गया (मगध विश्वविद्यालय, बिहार) में 1990-94 तक लेक्चरर के रूप में कार्य किया है तथा वर्ष, 1998 से सितम्बर, 2005 तक बिहार शिक्षा परियोजना, डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान में कार्य किया है। वह पूर्ववर्ती एनआईएआर (अब एनसीजीजी) में अक्तूबर, 2005 से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं तथा गवर्नेंस मामलों से संबंधित शोध, मॉनीटरिंग और प्रशिक्षण की विभिन्न परियोजनाओं का समन्वयन कर रही हैं। उनके प्रकाशन समुदाय शासन और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। उन्होंने समुदाय शासन पर 20 मामला अध्ययन कार्य और 12 श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर कार्य किए हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं।
	डॉ. ए.पी. सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर : सांख्यिकीय में एम.फिल और पीएचडी। उन्हें सामाजिक विज्ञान शोध करने तथा प्रबंधन, शासन, प्रशासन और सरकारी निजी भागीदारी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजन करने का लम्बा अनुभव है। वह सांख्यिकीय और सामाजिक विज्ञान शोध जैसे भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं तथा उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के अनेक शोध अध्ययन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर प्रकाशित किए हैं। उन्होंने विभिन्न देशों के सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसेकि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवक, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक समन्वयन किया है।

	डॉ. भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, एसोसिएट प्रोफेसर : कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखंड) से भूगोल विज्ञान में एम.ए, पीएचडी। उन्हें अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण में 20 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने जीबीपीआईएचईडी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन) में अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया तथा उन्होंने उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में भी संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके 30 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित हो चुके हैं तथा उन्होंने दो पुस्तकों "सैनिटेशन एंड हेल्थ इन रूरल इंडिया : प्राब्लम एंड मैनेजमेंट आप्शन्स" का श्री आलोक कुमार, भा.प्र. सेवा, पूर्ववर्ती उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा "डिसेन्ट्रालाइज्ड गवर्नेंस ऑन वाटर एंड सैनिटेशन इन इंडिया" का श्री कुश वर्मा, भा.प्र. सेवा पूर्ववर्ती, महानिदेशक, एनसीजीजी और डॉ एडेन क्रोनिन, चीफ वाटर एंड सैनिटेशन, यूनिसेफ, इंडोनेशिया के साथ संपादन कार्य किया। डॉ बिष्ट ने जल और स्वच्छता, लोक नीति एवं शासन पर 90 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा देश भर में दूरदर्शी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित किए। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों और विदेश में अनेक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।
	डॉ गजाला हसन, एसोसिएट प्रोफेसर : जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.कॉम, पीएचडी (वाणिज्य) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल्स (डीटीएस) पाठ्यक्रम। वह सामाजिक क्षेत्र के विविध शोध अध्ययनों, एसएसए, प्रशिक्षण और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में शामिल रही हैं।
	श्री संजीव शर्मा, रिसर्च एसोसिएट : एचएनबी गढ़वाल, विश्वविद्यालय, श्रीनगर से एम.ए. (समाज विज्ञान), एम.ए. (अंग्रेजी), साईनाथ विश्वविद्यालय, रांची से पीएचडी (समाज विज्ञान) कर रहे हैं, एमसीआरपी विश्वविद्यालय, भोपाल से पीजीडीसीए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस)। उन्होंने ग्राफिक्स एरा, देहरादून से डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स तथा ऑटो कैड (सीएडी) भी किया है। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और पुस्तकों में अनुसंधान लेख प्रकाशित किए हैं तथा भिन्न-भिन्न सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न शोध अध्ययनों के समापन और प्रकाशन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं। वह एसपीएसएस आदि जैसे पैकेट के उपयोग से मात्रात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण सहित स्किल्स प्राप्त हैं।वह सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवकों, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं।
	डॉ मुकेश के. भंडारी, रिसर्च एसोसिएट : एम.ए. (राजनीति शास्त्र), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, पीएचडी (राजनीतिशास्त्र) एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, बम्बई से स्थानीय स्व-शासन में डिप्लोमा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस) कोर्स। उन्होंने "इंडीजनस पीपुल राइटस" पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्य के जिला अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रज्ञा अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने उत्तराखंड राज्य में लोकनीति : सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली द्वारा आयोजित अनुसंधान कार्यक्रम : विधानसभा चुनाव अध्ययन, 2002 (चुनाव पश्चात् - सर्वेक्षण) में फील्ड सर्वेक्षक का कार्य किया। वह सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवकों, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं।

	श्री संदीप गर्ग, वित्त अधिकारी : बी.एस.सी. भौतिकी (आनर्स)। वह वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग में अधिकारी हैं। उन्होंने आईएनजीएएफ द्वारा आयोजित कंप्यूटर लेखापरीक्षा तकनीकों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्हें पीएफएमएस ऑनलाइन पोर्टल तथा सरकारी लेखा और आंतरिक लेखापरीक्षा का अनुभव है।
केआरसी परियोजना :	
	डॉ. ए.के. मिश्रा, परियोजना परामर्शदाता (जल और स्वच्छता परियोजना), केआरसी : एम.एससी (रसायन विज्ञान), बी.ईडी, कुमायूँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, नैनीताल, एम.ए. (समाज विज्ञान), पीएचडी (समाज विज्ञान) गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर। उन्हें अनुसंधान, सामाजिक संसाधन जुटाने, प्रशिक्षण, आयोजना, निष्पादन, मॉनीटरिंग तथा समुदाय प्रेरित, मांग प्रतिक्रियाशील पद्धति आधारित परियोजनाओं के समग्र प्रबंधन का 12 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में विशेषज्ञ (जल और स्वच्छता) के रूप में कार्य किया है। उन्होंने वर्ष 2007-08 के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्य हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) के सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों तथा विदेश विशेषकर कनाडा, नेपाल और थाइलैंड में अनेक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।

संलग्नक - ।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के शासी निकाय के सदस्य

1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110004 (अध्यक्ष)
2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001 (उपाध्यक्ष)
3. वित्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली (सदस्य)
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली - 110001 (सदस्य)
5. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली -110108 (सदस्य)
6. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (सदस्य)
7. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 (सदस्य)
8. सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (सदस्य)
9. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड (सदस्य)
10. निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलूरु, बन्नरघाट रोड, बंगलुरु - 560076, कर्नाटक (सदस्य)
11. निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थानिक क्षेत्र (निकट जेएनयू), नई दिल्ली - 110067 (सदस्य)
12. श्री बी.एस. बस्वान, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), ई-12/1, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 (सदस्य)
13. श्रीमती अरूणा राय, सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि, मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) गांव देवडुंगरी, डाक बरार, जिला राजसंमद-313341, राजस्थान (सदस्य)
14. डॉ. इंदिरा राजरमण, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, द्वारा पीसीजीएम एवं सचिव, सचिव विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 16वां तल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई - 400001 (सदस्य)
15. प्रो. नीरजा गोपाल जयाल, प्रोफेसर, विधि और शासन अध्ययन केंद्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (सदस्य)
16. प्रोफेसर दीपंकर गुप्ता, विख्यात प्रोफेसर एवं निदेशक, सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स एंड क्रिटिकल थ्योरी, समाज विज्ञान विभाग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान स्कूल, शिव नडार विश्वविद्यालय, एनएच 91, तहसील दादरी, डी 2 केबिन नं. 3, प्रथम तल, बी विंग, गौतमबुद्ध नगर -201314, उत्तर प्रदेश (सदस्य)
17. प्रोफेसर (डॉ.) एन. आर. माधव मेनन, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, 'देवी प्रिया', साईराम रोड, परीक्षा भवन के सामने, पूजा पुरा, त्रिवेन्द्रम - 695012, केरल (सदस्य)
18. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण प्रभाग), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ब्लॉक सं. IV, पुराना जे.एन.यू. परिसर, नई दिल्ली - 110067 (सदस्य)
19. महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), भारत सरकार, ब्लॉक IV, चौथा तल, पुराना जे.एन.यू. परिसर, नई दिल्ली - 110067 (सदस्य सचिव)

संलग्नक-II

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की प्रबंधन समिति के सदस्य

1.	सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	उपाध्यक्ष
3.	मंत्रिमंडल सचिव द्वारा मनोनीत (अपर सचिव/सं. सचिव की रैंक)	सदस्य
4.	अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
7.	अपर सचिव एवं आर्थिक सलाहकार (गृह), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
8.	महानिदेशक, एनसीजीजी	सदस्य सचिव

संलग्नक - III

'नागरिक केंद्रिक शासन : प्रपत्रों का सरलीकरण'

क्र.सं.	कार्यशाला का नाम	स्थान	प्रपत्र	तिथि
1.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण, भाग-II पर तकनीकी कार्यशाला, डाक विभाग, संचार मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष-II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	32	24-04-2017
2.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	व्याख्यान कक्ष -II (तलघर) (संलग्नक) 40, मैक्समूलर मार्ग, नई दिल्ली	06	27-04-2017
3.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष -II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	08	31-05-2017
4.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला,पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	हॉल-I, सिविल सेवा अधिकारी संस्थान	29	30-06-2017
5.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष-II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	29	31-07-2017
6.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, आयुक्त कार्यालय (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष-II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	13	30-08-2017
7.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष-II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली	44	06-10-2017
8.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, डाक विभाग, संचार मंत्रालय	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, सम्मेलन कक्ष-I, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	16	30-11-2017
9.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, सम्मेलन कक्ष-I, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	23	23-02-2018
10.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, सम्मेलन कक्ष-I, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	44	28-03-2018

संलग्नक -IV

क्र. सं.	कार्यशाला का विषय/प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण स्थल	अवधि
1.	राजस्थान राज्य के जल मामलों पर पीएचईडी के इंजीनियरों के I-बैच का प्रशिक्षण - सह-कार्यशाला तथा प्रत्यक्ष अनुभव दौरा	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	24-27 अप्रैल, 2017
2.	राजस्थान राज्य के जल मामलों पर पीएचईडी के इंजीनियरों के II-बैच का प्रशिक्षण - सह-कार्यशाला तथा प्रत्यक्ष अनुभव दौरा	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	18-22 दिसम्बर, 2017
3.	राजस्थान राज्य के जल मामलों पर पीएचईडी के इंजीनियरों के III-बैच का प्रशिक्षण - सह-कार्यशाला तथा प्रत्यक्ष अनुभव दौरा	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	29 जनवरी, 2018 से 02 फरवरी, 2018
4.	राजस्थान राज्य के जल मामलों पर पीएचईडी के इंजीनियरों के IV-बैच का प्रशिक्षण - सह-कार्यशाला तथा प्रत्यक्ष अनुभव दौरा	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	6-10 मार्च, 2018
5.	राजस्थान राज्य के जल संसाधन इंजीनियरों के व्यक्तित्व विकास तथा प्रबंधन नीतिशास्त्र पर प्रशिक्षण - सह-कार्यशाला	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	20-24 फरवरी, 2018

संलग्नक -V

क्र. सं.	कार्यशाला का विषय/प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण स्थल	अवधि
1.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम) के जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों का तीन दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएएससी, पूसा परिसर, नई दिल्ली	5-7 अप्रैल, 2017
2.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम) के जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों का तीन दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएएससी, पूसा परिसर, नई दिल्ली	16-18 मई, 2017
3.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम) के जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों का तीन दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएएससी, पूसा परिसर, नई दिल्ली	8-10 अगस्त, 2018
4.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम) के जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों का तीन दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएएससी, पूसा परिसर, नई दिल्ली	28-30 नवम्बर, 2017

संलग्नक -VI

क्र. सं.	कार्यशाला का विषय/प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण स्थल	अवधि
जिला बोकारो, झारखंड			
1.	बोकारो जिला, झारखंड के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर जिला परिषद सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएएससी, पूसा परिसर, नई दिल्ली	7-9 सितम्बर, 2017
2.	बोकारो जिला, झारखंड के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर जिला परिषद सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएएससी, पूसा परिसर, नई दिल्ली	29-31अक्तूबर, 2017
3.	बोकारो जिला, झारखंड के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर मुखियाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम	ए टी आई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	4-6 जून, 2018
हजारीबाग जिला, झारखंड			
4.	हजारीबाग जिला, झारखंड के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सदस्यों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम	कंट्री इन, मसूरी	6-8 फरवरी, 2018
5.	हजारीबाग जिला, झारखंड के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सदस्यों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	कंट्री इन एण्ड स्यूट्स, रेडिसन, मसूरी	7-5 मार्च, 2018

संलग्नक -VII

क्र. सं.	कार्यशाला का विषय/प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण स्थल	अवधि
1.	मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर प्रथम बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	1-5 अगस्त, 2017
2.	मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर द्वितीय बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	6-10 नवम्बर, 2017
3.	सिक्किम के राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दूरदर्शी नेतृत्व विकास पर पाँच दिवसीय कार्यक्रम	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	6-10 नवम्बर, 2017
4.	मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर तृतीय बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	11-15 दिसम्बर, 2017
5.	राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	15-19 जनवरी, 2018
6.	मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर चतुर्थ बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	12-16 फरवरी, 2018

संलग्नक -VIII

क्र.स.	कार्यशाला का विषय/प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण स्थल	अवधि
1.	उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षणार्थी सिविल जजों (कनि. खंड) के 2014 बैच का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन्दिरा भवन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी परिसर, मसूरी	17-18 अगस्त, 2017

संलग्नक -IX

- **बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	प्रशिक्षण स्थल
1.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 36वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	10 जुलाई, 2017 से 22 जुलाई, 2017	मसूरी-दिल्ली
2.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 37वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11 सितम्बर, 2017 से 23 सितम्बर, 2017	मसूरी-दिल्ली
3.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 38वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 अक्तूबर, 2017 से 15 अक्तूबर, 2017	मसूरी-दिल्ली
4.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 39वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	13 नवम्बर, 2017 से 25 नवम्बर, 2017	मसूरी-दिल्ली
5.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 40वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1 जनवरी, 2018 से 13 जनवरी, 2018	मसूरी-दिल्ली
6.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 41वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 जनवरी, 2018 से 10 फरवरी, 2018	मसूरी-दिल्ली
7.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 42वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5 फरवरी, 2018 , 17 फरवरी, 2018	मसूरी-दिल्ली
8.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 43वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5 मार्च, 2018 से 17 मार्च, 2018	मसूरी-दिल्ली

संलग्नक -X

- **बंगलादेश के उपायुक्तों (डीसी) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	प्रशिक्षण स्थल
1.	बंगलादेश के उपायुक्तों के लिए पांचवां विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 मार्च, 2017 से 7 अप्रैल, 2017	मसूरी - दिल्ली
2.	बंगलादेश के उपायुक्तों के लिए छठा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	13 सितम्बर, 2017 से 22 सितम्बर, 2017	मसूरी - दिल्ली
3.	बंगलादेश के उपायुक्तों के लिए सातवां विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	15 नवम्बर, 2017 से 24 नवम्बर, 2017	मसूरी - दिल्ली

संलग्नक -XI

- **प्रबंधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	प्रशिक्षण स्थल
1.	उभरते व्यापार परिदृश्य में विकासशील कार्यनीतिक विशेषताओं पर पहला कार्यक्रम	17 से 21 अप्रैल, 2017	मसूरी
2.	लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए 13वाँ प्रबंधन विकास कार्यक्रम	12 से 16 जून, 2017	मसूरी
3.	उभरते व्यापार परिदृश्य में विकासशील कार्यनीतिक विशेषताओं पर दूसरा कार्यक्रम	19 से 23 जून, 2017	मसूरी
4.	कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के लिए रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम	21 से 25 अगस्त, 2017	मसूरी
5.	मिजोरम प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोकनीति और शासन पर दूरदर्शी नेतृत्व विकास कार्यक्रम	3 अक्तूबर, 2017 से 14 अक्तूबर, 2017	मसूरी
6.	ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोकनीति और शासन पर छठा प्रशिक्षण कार्यक्रम	23 अक्तूबर, 2017 से 27 अक्तूबर, 2017	मसूरी
7.	मणिपुर सिविल सेवा प्रोबेशनर्स के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 अक्तूबर, 2017 से 10 नवम्बर, 2017	मसूरी

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान

चतुर्थ तल, ब्लॉक 04, पुराना जे.एन.यू. कैंपस, नई दिल्ली – 110067

टेलीफैक्स: 011–26169136–39